

न्यायालय मध्यस्थ (जिला कलक्टर), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी - भगवती प्रसाद, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 01/2014

प्रार्थी / अपीलार्थी :-

1. श्री तन्कचन पी.के. पिता
श्री केशवन
2. श्रीमती पोनन्ना सी.पी. पत्नी तन्कचन बनाम
पी.के. जाति इज्जवा नि. पामवानी
तडसील भवन, अरुनुट्टी मंगलम,
तहसील वयकम, जिला कोटायम
(केरल) हाल निवासी बागीदौरा

अप्रार्थी / रेस्पोंडेंट्स:-

1. भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं. 113,
कार्यालय-बी 59, बापु नगरा, पश्चिम रोड नं.
5, सेती, चित्तोडगढ़।
2. तहसीलदार, बागीदौरा।
3. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड
अधिकारी, बागीदौरा।

श्री भगवत पुरी,

-अधिवक्ता प्रार्थी

उपस्थित

श्री हीरालाल जैन,

- अधिवक्ता अप्रार्थी स.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपटित धारा 26, 28,
29 व 30 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम, 2013 बाबत प्रतिकर राशि विनिर्धारण हेतु

निर्णय

दिनांक :- 18-12-2017

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपटित धारा 26, 28, 29 व 30 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 बाबत प्रतिकर राशि विनिर्धारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया कि, प्रार्थीगण द्वारा जरिये पंजिकृत विक्रय विलेख दिनांक 13-06-2006 को श्री बनारसीलाल अग्रवाल से 2400 वर्गफीट आवासीय भूमि सम्पूर्ण हक व हकूकों के साथ क्रय किया गया है। तब से उक्त भूमि का स्वामित्व व आधिपत्य प्रार्थीगण के अनन्य कब्जे का है। जिसे सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा ने अपने आदेश / अर्वार्ड संख्या 73 दिनांक 04-07-2014 से पाडी से दाहोद सड़क एन.एच. 113 को चौड़ा करने एवं बायपास इत्यादि के निर्माण हेतु किमी 181.900 से 196.800 एवं 214.4000 से

224.500 किमी तक में आने वाली भूमि को अवाप्त किये जाने के संबंध में अर्वाड जाओ किया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अर्वाड में प्रार्थीगण के उक्त वर्णित आवासीय भूखण्ड को दो भागों में विभक्त कर अलग-अलग मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है, जो अविधिपूर्ण है। प्रार्थीगण की सम्पूर्ण भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ है। उक्त अर्वाड में प्रार्थीगण को दी गयी प्रतिकर राशि को प्रार्थीगण स्वीकार नहीं करते हैं। प्रत्यर्थी संख्या 3 का उक्त अर्वाड अविधिपूर्ण, मनमाना होने से अपास्त किये जाने योग्य है व प्रतिकर राशि पुनः निर्धारित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि के स्वामी होकर हितबद्ध व्यक्ति हैं तथा प्रस्तावित अधिनिर्णय प्रतिग्रहित नहीं करते हैं एवं इस न्यायालय द्वारा अर्वाड का पुनः अवधारणा करना चाहते हैं। इस कारण मामले में अवधारण कराने का प्रार्थी को कानूनन हक प्राप्त है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 (जी)(7) में अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं, जिसमें भूमि के बाजार मूल्य, अवाप्ति से हुई क्षतियों को ध्यान में रखकर हितबद्ध व्यक्ति के नाम अर्वाड पारित किया जाना आवश्यक है। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा कानूनी प्रावधानों को नजरदाज करते हुए प्रश्नगत अर्वाड पारित किया है, जो अविधिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

उक्त भूमि पूर्व में कृषि भूमि होकर आराजी सर्वे नम्बर 742 रकबा 16 बीघा वापके ग्राम बडोदिया में स्थित है, जिसमें से 4000 वर्गमीटर भूमि आदेश क्रमांक 320-22 दिनांक 30-01-1995 कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ) के द्वारा एवं 2000 वर्ग मीटर भूमि आदेश क्रमांक 30 दिनांक 29-01-1996, कार्यालय तहसीलदार, वागीदौरा द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित की गई है। संपरिवर्तित भूमि 6000 वर्ग मीटर भूमि को श्री बनारसीलाल ने नंदनी कॉलोनी के नाम से आवासीय भूखण्ड बनाए और उक्त भूखण्डों में से भूखण्ड क्रमांक एस-2, जो 40 फीट गुणित 60 फीट कुल क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट क्षेत्रफल का है, को प्रार्थीया द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विवेक दिनांक 13-06-2006 को क्रय किया है, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अन्य भूमि के साथ अवाप्त किया है। मौके की स्थिति भी सही अंकित नहीं की है। प्रार्थीगण के आवासीय

भूखण्ड पर बाउण्डीवाल पत्थरों की बनी है, जिसका मूल्यांकन भी नहीं किया गया है। उक्त भूमि का खसरा संख्या बाद में परिवर्तित होकर आराजी सर्वे नम्बर 2628, आराजी सर्वे नम्बर 2628/3511, आराजी सर्वे नम्बर 2629 व आराजी सर्वे नम्बर 2629/3510 हो गया है। क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र की प्रति सलग्न है। जमाबन्दी खतानो ग्राम वडोदेरा के खाता संख्या 373 नया व 336 पुराना में आराजी सर्वे नम्बर 2628 व 2629 को कृषि भूमि अंकित किया है व आराजी सर्वे नम्बर 2628/3511 व 2629/3510 को आवासीय भूमि अंकित किया है। प्रार्थीगण ने उक्त आवासीय भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट अपने आवास के निर्माण के उद्देश्य से क्रय किया था। प्रार्थीगण ने उक्त भूखण्ड पर बाउण्डी वाल भी बनवाई है, जिसमें प्रार्थीगणों का 2.00 लाख का व्यय हुआ है। प्रार्थीगण को भूमि अवाप्ति का कोई नोटिस कानूनन नहीं भेजा गया है। स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किये गये नोटिफिकेशन से पूर्व भूमि का रूपान्तरण आवासीय प्रयोजनार्थ किया जाकर सम्पूर्ण भूमि आबादी में दर्ज हो चुकी है तथा उक्त तिथि के पूर्व प्रार्थीगण के नाम वैध हस्तान्तरण हो चुका है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित अवार्ड में भी भूमि का रूपान्तरण होना माना गया है। इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को नजरअंदाज कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि एवं तथ्यों की भूल की है, जिस कारण मामले में न्याय निर्णय किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थीगण की प्रश्नगत आवासीय भूमि एवं परिसम्पत्तियों का निम्नानुसार मूल्यांकन किया जाकर तदनुसार राशि दिलाये जाने हेतु निवेदन किया :-

क्र. सं.	सम्पत्ति	मूल्य
1	आवासीय भूमि साईज 2400 वर्गफीट	2400000
2	भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां (बाउण्डी वाल)	200000
	योग	2600000
3	100% तोषण (सोलेशियम)	2600000
	योग	5200000

उक्तानुसार राशि रूपया 52.00 लाख एवं उस पर अधिसूचना की तिथि से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की राशि प्रार्थी को दिलाये जाने हेतु निवेदन

किया। प्रार्थीगण को नोटिस नहीं मिल पाने के कारण अवाप्ति की सम्पूर्ण कार्यवाही में भाग नहीं ले पाए, तथा इसकी पैरवी नहीं की जा सकी। अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा जारी अवार्ड संख्या 73 दिनांक 04-07-2014 से असंतुष्ट होकर उक्तानुसार राशि रूपया 52.00 लाख मय ब्याज दिलाये जाने निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से श्री हीरालाल जैन, अधिवक्ता द्वारा अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा नियमानुसार जांच करने के उपरान्त कानून के प्रावधानों के अनुसार ही प्रकरण में अवाप्त की जाने वाली भूमि का प्रतिकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में अधिग्रहित की गई भूमि के संबंध में अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के आधार पर जारी किये गये हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अवार्ड में अप्रार्थी संख 1 को किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं है। राजन प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड राशि के अनुसार उसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से नियमानुसार भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। कानून के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के द्वारा जो भी अन्तिम अवार्ड जारी किया जाता है, उसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 भुगतान कर सकता है, उससे परे किसी प्रकार की कोई रकम क्षतिपूर्ति के रूप में अदा नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 2 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति), उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, चित्तोडगढ के पत्रांक 36 दिनांक 12-04-2016 तथा राजस्थान सरकार की अधिसूचना प.1(3)राज.6/211 पार्ट दिनांक 14-06-2016 में दिए गए निर्देशानुसार वादी का संशोधित अवार्ड बनाकर पुर्ननिर्धारित


मुआवजा राशि स्थानान्तरण हेतु परियोजना निदेशक, परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भिजे जा चुके हैं। राशि भूमि अवाप्ति अधिकारी के बैंक खाते में स्थानान्तरित होते ही वादी का पुर्ननिर्धारित मुआवजा वादी के बैंक खाते में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।


दिनांक 18-12-2017 को उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराते हुए कथन किया कि The National Highways Act 1956 के न्यायिक दृष्टांत के साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि दिलाई जाए। आवासीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की कुलिया राशि 26.00 लाख एवं इस पर 100% तोषण (सोलेशियम) की राशि 26.00 लाख कुल राशि रूपया 52.00 लाख एवं उस पर अधिसूचना की तिथि से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की राशि प्रार्थी को दिलाये जाने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने जवाब प्रस्तुत किये गये तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अधिगृहण हेतु जारी अवार्ड राशि के अनुसार उसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से नियमानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अवार्ड में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं है। अधिगृहण की गई भूमि का अवार्ड के अनुसार उसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से नियमानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। प्रश्नगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। उक्त आधारों पर प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट





 भगवती प्रसाद
 जिला पटवन्टर
 अंसबाड़ा

होता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) वागीदौरा द्वारा प्रार्थी के प्रकरण में मुआवजा पुर्ननिर्धारण के अवार्ड के भुगतान की कार्यवाही जारी है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के मुआवजे की राशि प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुई है, जो कि प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः उक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), वागीदौरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेख, सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सम्परिवर्तन आदेश, तत्समय एवं अवाप्ति के समय प्रश्नगत भूमि के सर्वे नम्बरान एवं मौके की स्थिति का गहनता से अवलोकन करते हुए उक्त अवाप्तशुदा भूमि एवं परिसम्पत्तियों का नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एवं इससे सम्बद्ध निर्धारित किए गए प्रावधानों के अनुरूप सहायता राशि को गणना कर प्रार्थी के नाम से अवार्ड जारी किया जावे। विपक्षी संख्या 1 भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, चित्तौड़गढ़ (राज.) को निर्देशित किया जाता है अवार्ड के आधार पर प्रार्थी को भुगतान कराया जाव

निर्णय आज दिनांक 18-12-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर
जयपुर
राजस्थान